तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील की प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 22.05.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	22/05/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील द्वारा प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी। हमने प्रा.पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 23.05.25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
	23.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। हमने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर वकील उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 9,10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 9,10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/5/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 159/2023
प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 22.09.2023
निर्णय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2025

उनवान

श्यामबिहारी बनाम विजेन्द्र वगै.
दावा उद्घोषणा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक 23.05.2025

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा एवं स्थायी षेधाज्ञा जर्ये वकील श्री गोपाल बंधु के इस आशय से पेश किया है कि वादीगण की पैतृक भूमि तौनी संख्या पुरानी 34 नया 126 के आराजी खसरा नंबर 1002/699, 1006/706 कुल किता 2 ल रकबा 0.53 हैक्टेयर वाके रामा आभानेरी तहसील बांदीकुई में स्थित है। वादीगण के बाबा ाजूलाल के नाम से भूमि पैत्रिक थी जिसका नामान्तकरण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के ाम खुल चुका है। उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है जिसकी बाबत भी सम्पत्ति मे पोता का जन्म से ही धिकार प्राप्त हो गया है। इसलिये उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया ावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 अपने नाम भूमि का नामान्तकरण खुल जाने से उक्त भूमि ो दीगर सख्स को रहन,बय, मुन्तकिल करने पर आमादा हो रहे है। क्योकि प्रतिवादीगण को उक्त ूमि को रहन, बय करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 01 गायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह भूमि को किसी भी दीगर ख्स को रहन ,बय, मुन्तकिल नहीं कर व प्रतिवादीगण संख्या 10 को भी स्थायी तौर पर पाबंद रमावें कि वह ऐसे किसी भी रहन, बय के दस्तावेज को पंजीकृत करने से स्थायी तौर पर पाबंद हे। प्रतिवादीगण को दिनांक 10.09.2027 को भूमि मुतदाविया का तकास्मा करवाने हेतु कहा तो तिवादीगण भूमि मुतदाविया का तकास्मा करवाने से कतई इंकार हो गया व एलानिया कहा कि हम ो भूमि मुतदाविया का तकास्मा नहीं करवायेंगे और भूमि मुतदाविया नहीं करवायेंगे ओर भूमि ुतदाविया को बिना तकास्मा कराये ही किसी भी दीगर सख्स को रहन, बय व हस्तांतरित करके हेंगे ऐसी सूरत में यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो तिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो जायेगे व वादीगण को अपूर्तिनीय क्षति ारित हो जावेगी। व पक्षकारान के मध्य बिला वजह बेलोस मुकदमे बाजी छिड जावेगी जो बाय से र्बादी वादीगण होगी व मुकदमों का बाहुल्य हो जावेगा ऐसी सूरत में वादीगण को सिवाया दावा हाजा प्रस्तुत करने के अन्य कोई चारा नजर नहीं आने से दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय यौम दावा व बिनाय मुखास्मत वादीगण को दिनांक 10.09.2023 को तकास्मा करने से इंकार करने से व भूमि मुतदाविया को रहन बय हस्तान्तरित करने की एलानियां

Scanned with OKEN Scanner

धमकी देने से अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी है। अतः दावा अंदर मियाद पेश है अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:- भूमि मुतदाविया वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसमे बाबा की सम्पत्ति में पोता का जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गया है ऐसी सूरत भूमि मुतदाविया का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व इस अमर की घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में की जावें। भूमि मुतदाविया वर्णित को पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार सरस नरस तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाता खतौनी अलग अलग जमाबंदी, अलग अलग पास बुक बनायी जाकर लगान का अलग अलग बंटवारा किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावें कि भूमि खसरा नंबर 1002/699 व 1006/706 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर का बिना तकास्मा हुये किसी भी दीगर सख्स को रहन बय व हस्तांतरित नहीं करे, तथा प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 द्वारा ऐसे रहन, बय हस्तान्तरित के दस्तावेजात को तस्दीक व पंजीकृत नहीं करे व इस अमर से प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर, एजेन्ट एवं परिवारजन बाज व मुमतनाह रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादी संख्या 9, 10 की ओर से एड. श्री विनोद शर्मा ने पावर पेश की। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रार्थीगण मोहनलाल, गिर्राज प्रसाद शर्मा द्वारा जर्ये वकील श्री विनोद शर्मा के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर अवगत करवाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा कतई गलत प्रस्तुत किया गया है वादीगण को दावा प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति मुरारीलाल पुत्र बिरदीचंद एवं मांगीलाल पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज जमाबंदी रिकॉर्ड है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुरारीलाल पुत्र बिरदीचंद एवं मांगीलाल पुत्र रामसहाय द्वारा विजेन्द्र, महेन्द्र, सुरेन्द्र, सोहन, सरोज, सुशीला उमा उर्फ छोटी पिसरान छाजूलाल एवं शांति पत्नि छाजूलाल से क्रय की गयी थी। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थीगण के हक अधिकार कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण ने न्यायालय में तथ्य छुपाकर प्रार्थीगण को हानि पहुंचाने की नियत से भूमि हडपने हेतु दावा प्रस्तुत किया है वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण वारिसान होने के कारण वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक हे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का जबाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करनी चाही। हमने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। हमने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न जमाबंदी संवत् 2072–75 ग्राम आभानेरी तहसील बांदीकुई खाता संख्या नया 126 पुराना 34 प्रस्तुत की है जिसमे वादग्रस्त भूमि विजेन्द्र, महेन्द्र ,सुरेन्द्र सोहन पि. छाजूलाल शांति पत्नि स्व. छाजूलाल सुरजा सुशील छोटी पुत्री छाजूलाल जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के संलग्न जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम आभानेरी तहसील बांदीकुई खाता संख्या नया 125 पुराना 126 व खाता संख्या 165 पुराना 125 प्रस्तुत की है। जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम आभानेरी तहसील बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

ाता संख्या नया 125 पुराना 126 के खसरा नंबर 1006/706 रकबा 0.0100 हैक्टेयर के खातेदार ुरारीलाल पुत्र बिरदीचंद हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार एवं खाता संख्या 165 पुराना 25 के खसरा नंबर 1002/699 रकबा 0.5200 हैक्टेयर में मुरारीलाल पुत्र बिरदीचंद हिस्सा 5/104 ाति ब्राहमण सा.देह खातेदार व मांगीलाल पुत्र रामसहाय हिस्सा 99/104 जाति ब्राहमण सा.देह ातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या व 10 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। किसी खातेदार का उसकी खातेदारी भूमि से उसका नाम हजफ हीं किया जा सकता है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते है वादीगण ा वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की परिसीमा में आता है। इसलिये वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, पत्रावली व संलग्न स्तावेज का अवलोकन करने के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 9, 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ादेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत ाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली सल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले ्यायालय में लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

23/5/25

(रामसिंह राजावत)

उपजिला कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई

बांदीकुई (दौसा)